फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - सर्विलांस सेल

दिनांक :- 19.03.2025

सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा/खोये हुये कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन(अनुमानित कीमत लगभग 27 लाख रू0) बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** के नेतृत्व में नागरिकों के गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों व विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुमशुदगी से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्र जिन्हें सर्विलांस पर लगा कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिन्हें सर्विलांस सेल द्वारा अथक परिश्रम एवं मेहनत के फलस्वरूप विभिन्न कम्पनियों के कुल 100 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किये गये।

आज दिनांक 19.03.2025 को श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** द्वारा गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन के वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामियों द्वारा सर्विलांस टीम का आभार व्यक्त किया गया तथा आम जनमानस द्वारा इस सराहनीय कार्य हेतु फतेहगढ़ पुलिस की प्रशंसा की जा रही है।

बरामद किये गये मोबाइल फोन का विवरण-

1. **101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत करीब 27 लाख रु0)**

बरामद करने वाली सर्विलांस सेल टीमः-

1. **उ0नि0 दीपक कुमार भाटी**
2. **हे0का0 संदीप राव**
3. **हे0का0 करन सिंह**
4. **हे0का0 अनुराग कुमार**
5. **हे0का0 सचेन्द्र सिंह**
6. **का0 राहुल शर्मा**

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

को0 फर्रूखाबाद | **दि0-19.03.2025**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रोशन पुत्र मुन्नालाल निवासी मो0 नरकसा थाना को0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 393/2016 वाद स0- 119/2017 धारा- 363,366 भा0द0वि0 16/17 पाक्सो एक्ट को0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 19.03.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर 03 वर्ष का कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी – श्री प्रदीप कुमार

को0मो0 हे0का0 राजेन्द्र कुमार

पैरोकार का0 मुकेश कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज	*आजीवन कारावास*	दि0-19.03.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गौरव पुत्र रघुवीर सिह निवासी मिलकिया पहाडपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 102/2020 वाद स0- 1036/2020 धारा- 302 IPC थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 19.03.2025 को मा0 न्यायालय ADJ- 07 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी – श्री संजीव कुमार मिश्रा

को0मो0 म0हे0का0 अल्का पाल

पैरोकार – का0 कृष्णवीर